कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थितः— श्री अनिल संत कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :— **सर्वश्री न्यू सनसाइन इन्टर प्राइजेज, 569/150 पार्ट नं03 अपो0 लाल हास्पिटल, कृष्णा नगर, कानपुर रोड, लखनऊ ।**

प्रा0प0सं0— **42।/2008**

प्रार्थी की ओर से— **श्री दिनेश कुमार सोनी, फर्म साझीदार ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008की धारा—59 के अर्न्तगतनिर्णय

।— प्रार्थी के द्वारा दिनांक 3—।2—2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा—59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें व्यापारी द्वारा निम्नलिखित वस्तुओं पर कर की स्थिति की जानकारी चाही गयी है :—

1-ELECTROINC TIME DELAY FOR CONTROL PANLE OF RMPU Air conditioned COACHES RAILWAY .2- Moving Coil Volt meter and AMPER meter for Air conditioned COACHES RAILWAY .

व्यापारी ने बताया कि उपरोक्त दोनों वस्तुयें उनके अनुसार उत्तरप्रदेश मूल्य संवर्धितकर अधि नियम,2008की अनुसुची—2—क के क्रमसंख्या—105के अन्तर्गत आती हैजिसकी प्रविष्टि निम्नवत् हैः—

105	Rail coaches, engines & wagons and parts thereof.

2— व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड—। वाणिज्य कर, लखनऊ जोन, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या—3490दिनांक 09—01—2009 से आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार उपरोक्त दोनों वस्तुयें उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसुची—2—क के क्रम संख्या—105 के अन्तर्गत नहीं आती है क्योंकि उपरोक्त दोनों वस्तुयें केवल रेलवे कोच में नहीं लगती है बल्कि उसका प्रयोग किसी भी एयर कन्डीशन कोच में किया जा सकता है। अतः उनके अनुसार उपरोक्त वस्तुयें उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसुची—5 में आती है अतः उन पर अवगीकृत वस्तु की भांति 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता बनती है।

3— धारा—59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री दिनेश कुमार सोनी, फर्म साझीदार उपस्थित हुयें और उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया ।

4— मेरे द्वारा व्यापारी के धारा—59 के प्रार्थना पत्र, प्राप्त विभागीय आख्या एवं अन्य साक्ष्यों का परीक्षण किया गया तथा पाया गया कि व्यापारी द्वारा जिन दो वस्तुओं पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है वह वस्तुयें उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसुची—2—क के क्रम संख्या—105 के अन्तर्गत नहीं आती है क्योंकि उपरोक्त दोनों वस्तुयें एयर कन्डीशन का पार्ट है न कि रेलवे कोचेज, इंजन एवं वैगन के पार्ट है तथा उपरोक्त दोनों वस्तुयें उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसुची—1, 2, 3, 4 के अन्तर्गत वर्णित भी नहीं है। अतः उपरोक्त वस्तुयें अवगीकृत होने के कारण अनुसुची—5 के अन्तर्गत आयेगी तथा 12.5 : की दर से करदेयता होगी।

5— प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा—59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6— इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को, एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को तथा एकप्रति वैव साइट में डालने हेतु भेजी जाय।

दिनांकः: 23 जनवरी, 2009

ह0/23—।—09

(अनिल संत)

कमिश्नर वाणिज्य कर,